जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय का पंजीयक

बनाम

संगम लक्ष्मी बाई विद्यापीठ और अन्य

(सिविल अपील संख्या 10807/ 2018)

29 अक्टूबर, 2018

[अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी, जेजे.]

तेलंगाना शिक्षा अधिनियम, 1982 -धारा 20- प्रत्यर्थी-कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के दौरान अपने कॉलेज में दी.फार्मा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन. ओ. सी.) जारी करने के लिए आवेदन किया- विश्वविद्यालय ने इस आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जरी करने से इनकार कर दिया कि सरकार की नीति और परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, नए संस्थानों और नए पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति प्रमाण पात्र नहीं दी जानी थी- जिसे प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई- उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार किया- अपील में, अभिनिर्धारित कियाः धारा 20 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति से संबंधित है - धारा 20(1) में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत इलाके की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करेगा कि उस क्षेत्र में कितने संस्थान काम कर रहे हैं और क्या मौजूदा कॉलेजों में शैक्षणिक संस्थान/नए पाठ्यक्रम खोलने की कोई और आवश्यकता है -धारा 20(3) में प्रावधान है कि कोई भी शैक्षणिक सम्स्त्जा जो अनुमति के लिए आवेदन कर रही है। वह 20 (2) के तहत अनुमति दिए जाने से पहले, संबंधित प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा कि इलाके के लोगों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है- यदि क्षेत्र में पहले से ही बड़ी संख्या में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान हैं, तो सक्षम प्राधिकारी को उस क्षेत्र में किसी संस्थान को स्थापित करने की अनुमति देने

के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देना उचित होगा - धारा 20 संस्थानों/पाठ्यक्रमों के मशरूम विकास को रोकने का इरादा रखता है- पहले से ही बड़ी संख्या में संस्थानों में अच्छी तरह से योग्य शिक्षकों की कमी है और सीटों की संख्या में कमी के बावजूद हैदराबाद शहर में फार्मेसी पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटें हर साल खाली रहती हैं- इस प्रकार, तत्काल मामले में जब हैदराबाद शहर में 30 संस्थान पहले से ही फार्मेसी पाठ्यक्रम चला रहे हैं, विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जरी करने से इनकार करना पूरी तरह से उचित था- राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय को अवैध नहीं कहा जा सकता है- उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए गलती की कि विश्वविद्यालय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य था- ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम, 1987- धाराएँ 2(जी), 23(1) सपठित धाराएँ 10 और 11.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थानों के लिए अनुमोदन का अनुदान) विनियम, 2016- विनियम 4.18- यदि 2017 विनियमों के विनियम 5.2 और 5.3 के प्रतिकूल है- अभिनिर्धारित किया : विनियम 4.18 विनियमन 2017 के विनियम 5.2 और 5.3 के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है- जवाहरलाल नेहरू संबद्धता प्रक्रिया और विनियमन, 2017

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1 तेलंगाना शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 20 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति देने से संबंधित है। धारा 20(1) में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत इलाके की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करेगा। धारा 20(3) में प्रावधान है कि धारा 20 (2) के तहत अनुमति के लिए आवेदन करने वाली कोई भी शैक्षणिक संस्था अनुमति दिए जाने से पहले संबंधित प्राधिकारी को संतुष्ट करेगी कि इलाके के लोगों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण इसलिए

किया जाता है ताकि इलाके की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान की जा सके। इस क्षेत्र में कितने संस्थान काम कर रहे हैं और क्या मौजूदा कॉलेजों में शैक्षणिक संस्थान/नए पाठ्यक्रम खोलने की कोई और आवश्यकता है। यदि क्षेत्र में पहले से ही बड़ी संख्या में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान हैं तो सक्षम प्राधिकारी को क्षेत्र में किसी संस्थान को स्थापित करने की अनुमति देने के लिए अनापत्ति प्रणाम पत्र नहीं देना उचित हो सकता है। [पैरा 12] [110-एच; 111-ए; 112-जी-एच; 113-ए]

1.2 1982 के अधिनियम की धारा 20 में निहित प्रावधान पूर्ण हैं और इनका उद्देश्य न केवल क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, बल्कि संस्थानों/पाठ्यक्रमों के मशरूम विकास को भी रोकना है। यदि संस्थानों को प्रत्येक पाठ्यक्रम को चलाने की अनुमति दी जाती है जो शिक्षा के स्तर को प्रभावित कर सकता है और अंततः निम्न-मानक शिक्षा का कारण बन सकता है। पहले से ही बड़ी संख्या में संस्थानों में योग्य शिक्षकों की कमी है और हैदराबाद शहर में फार्मेसी पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटें कई सीटों में कमी के बावजूद हर साल खाली रहती हैं। छात्रों की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध रिक्तियों को भरना संभव नहीं था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब हैदराबाद शहर में 30 संस्थान पहले से ही फार्मेसी पाठ्यक्रम चला रहे हैं, तो विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जरी करने से इनकार करना पूरी तरह से उचित था। [पैरा 13] [113-बी-डी]

1.3 जवाहरलाल नेहरू संबद्धता प्रक्रिया और विनियम, 2017 के विनियम 5.2 और 5.3 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय संबद्धता के साथ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखने वाला एक नया कॉलेज एआईसीटीई/पीसीआई/किसी अन्य वैधानिक निकाय में आवेदन करने से पहले विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेगा। विनियम 5.3 में प्रावधान है कि मौजूदा कॉलेजों में नए कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की प्राथमिकता/नीति, यदि कोई हो, के अनुसार विचार किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने कानून में यह ठहराते हुए

गलती की कि राज्य सरकार को ऐसी नीति बनाने की अनुमति नहीं है और विश्वविद्यालय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य है। [पैराज 14,16] [113-डी-ई; 115-जी-एच]

1.4 तेलंगाना सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा विनियमन परिषद (एआईसीटीई) को अपने पत्र के माध्यम से तकनीकी संस्थानों के प्रसार और स्थापना और एआईसीटीई के दायरे में आने वाले सभी तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अभूतपूर्व विस्तार पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। फार्मेसी सहित सारणीबद्ध रूप में डेटा दिया गया था। यह इंगित किया गया कि वर्ष 2015-16 में फार्मेसी में स्वीकृत प्रवेश संख्या 11490 थी, सीटें 4035 खाली रहीं थीं, शैक्षणिक सत्र 2016-17 में स्वीकृत प्रवेश संख्या 9226 थी, सीटें 1892 खाली थीं। [पैरा 17] [116-ए-सी]

2. ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम, 1987 धारा 2(जी) में तकनीकी शिक्षा को परिभाषित करता है जिसका अर्थ फार्मेसी में भी शिक्षा के कार्यक्रम हैं। उक्त अधिनियम में राज्य के साथ-साथ विश्वविद्यालय की शक्तियों में कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं है। ए.आई.सी.टी.ई. ने 1987 के अधिनियम की धारा 10 और 11 के साथ पठित धारा 23(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1987 के अधिनियम के तहत विनियम बनाए हैं, जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थानों के लिए अनुमोदन का अनुदान) विनियम, 2016 कहा जाता है। विनियम 4.18 में प्रावधान है कि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड, जैसा भी मामला हो, राज्य की परिप्रेक्ष्य योजना के साथ अपने विचार रखेंगे और फिर अनुमोदन के लिए आवेदन को संसाधित किया जाएगा। विनियम 4.18 को विश्वविद्यालय के विनियम 5.2 और 5.3 के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है और ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम और 1982 के अधिनियम की धारा 20 में कोई प्रतिकूलता नहीं है। [पैराज 18, 19] [116-डी-एफ; 117-सी]

3. राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय, जैसा कि परिप्रेक्ष्य योजना में परिलक्षित तथ्यों से स्पष्ट है, एक सर्वेक्षण पर आधारित है और आंकड़ों द्वारा समर्थित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीटें कम हो रही हैं। यहां तक कि फार्मेसी पाठ्यक्रम में 2017-18 में भी आंकड़े दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय से संबद्ध 56 कॉलेजों में से 30 हैदराबाद शहर में थे और कुल 1630 सीटों में से 173 सीटें खाली थीं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में सीटें खाली रहीं। एक संस्थान को 30 से अधिक सीटें आवंटित नहीं की जा सकती हैं। शैक्षणिक संस्थानों के मशरूम विकास की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी विशेष स्थान पर संस्थानों को बिना किसी आवश्यकता के लापरवाह तरीके से स्थापित करने की अनुमति देकर शिक्षा के स्तर से समझौता और त्याग नहीं किया जा सकता है। राज्य का निर्णय वस्तुनिष्ठ तरीके से लिया गया था और यह डेटा पर विश्लेषण करने पर आधारित है और इसे किसी भी तरह से तर्कहीन या मनमाना नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय को अवैध नहीं कहा जा सकता है और उस आधार पर विश्वविद्यालय ने 1982 के अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में निर्णय लिया है। तत्काल मामले में, मामला प्रस्तावित स्थान और संबद्धता के बारे में था, तेलंगाना राज्य के 36 फार्मेसी कॉलेजों में से और 30 अकेले हैदराबाद शहर में स्थित हैं जो संख्या में पर्याप्त से अधिक हैं। इस प्रकार, हैदराबाद शहर में प्रस्तावित स्थान पर एक और नया पाठ्यक्रम शुरू नहीं करने का सही निर्णय लिया गया है। [पैरा 21, 27 और 30] [119-डी, एच; 120-ए; 127-बी-सी]

आंध्र प्रदेश सरकार बनाम जे.बी. शैक्षिक सोसायटी (2005) 3 एस. सी. सी. 212 : [2005] 2 एस. सी. आर. 303- निर्भरता

तमिलनाडु राज्य बनाम अधियामन और अनुसंधान संस्थान (1995) 4 एससीसी 104 : [1995] 2 एससीआर 1075; जया गोकुल शिक्षा न्यास बनाम के आयुक्त और सचिव उच्च शिक्षा विभाग, तिरुवनंतपुरम, केरल (2000) 5 एस. सी. सी. 331 :

[2000] 2 एस. सी. आर. 1234; महाराष्ट्र राज्य बनाम संत ज्ञानेश्वर शिक्षा शास्त्र महाविद्यालय (2006) 9 एससीसी 1 : [2006] 3 एस. सी. आर. 638; थिरुमुर्गा किरुपानंद वरियार थावथिरु सुंदरा स्वामीगल मेडिकल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) 3 एससीसी 15:[1996] 2 एस. सी. आर. 422; रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई बनाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (2015) 11 एससीसी 291 : [2014] 12 एस. सी. आर. 796-संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ

[2005] 2 एस. सी. आर. 303	निर्भरता	पैरा 6
[1995] 2 एससीआर 1075	संदर्भित	पैरा 22
[2000] 2 एससीआर 1234	संदर्भित	पैरा 25
[2006] 3 एससीआर 638	संदर्भित	पैरा 28
[1996] 2 एससीआर 422	संदर्भित	पैरा 30
[2014] 12 एससीआर 796	संदर्भित	पैरा 31

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता : सिविल अपील संख्या 10807/ 2018

डब्ल्यू. पी. सं. 31293/ 2017 में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय हैदराबाद के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, पी. वेंकट रेड्डी, पी. प्रभाकर, प्रशांत त्यागी मेसर्स वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, महफूज़ नाज़की, अविनाश त्रिपाठी, एम. पी. देवनाथ, अधिवक्तागण ।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, न्यायाधिपति

1. अपील में शामिल सवाल यह है कि क्या कोई विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए या अपने अधिकार क्षेत्र के तहत इलाके की शैक्षिक आवश्यकताओं की परवाह किए बिना या एक नए पाठ्यक्रम के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) देने के लिए बाध्य है। दूसरे शब्दों में, क्या विश्वविद्यालय स्थानीय क्षेत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र जरी करने के लिए बाध्य है, भले ही उस क्षेत्र में संस्थानों की आवश्यकता हो और इस तरह संस्थानों के मशरूम विकास को बढ़ावा मिले?

2. प्रतिवादी संख्या 1-संगम लक्ष्मीबाई विद्यापीठ, एक पंजीकृत सोसायटी है जिसने महिलाओं के लिए हैदराबाद में स्थापित बोजम नरसिम्हुलु फार्मेसी कॉलेज, प्रतिवादी संख्या 2 होने के नाते, प्रायोजित और प्रबंधित किया है। किया गया। 27.7.2017 को प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संक्षेप में, "विश्वविद्यालय") को शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के दौरान अपने कॉलेज में डी.फार्मा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जरी करने के लिए आवेदन किया। 19.8.2017 पर, विश्वविद्यालय ने इस आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जरी करने को अस्वीकार कर दिया कि सरकार की नीति और परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, नए संस्थानों और नए पाठ्यक्रमों के लिए एन.ओ.सी. नहीं दी जानी थी।

3. 26.8.2017 को प्रतिवादी संख्या 2 ने शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के लिए डी. फार्मा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी देने के लिए भारतीय फार्मेसी परिषद (संक्षेप में, 'पीसीआई') के समक्ष एक आवेदन दायर किया। पी.सी.आई. ने विश्वविद्यालय से एन.ओ.सी. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिया।

4. विश्वविद्यालय द्वारा संसूचना दिनांक 19.8.2017 से एन.ओ. सी. को अस्वीकार करने को चुनोती देते हुए और जवाहरलाल नेहरू संबद्धता प्रक्रिया और विनियम, 2017 (जिसे इसके बाद "2017 विनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के विनियम 5.1, 5.2 और 6 को भी चुनौती देते हुए, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

5. उच्च न्यायालय में दायर अपने जवाबी हलफनामे में, विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि तेलंगाना शिक्षा अधिनियम, 1982 (इसके बाद "1982 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 20 के प्रावधानों के तहत, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियमों (संक्षेप में, "एआईसीटीई विनियम") और 2017 विनियमों के अनुसार एनओसी प्राप्त करना, नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक था।

6. पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम की धारा 20 की वैधता, जो इस अधिनियम 1982 की धारा 20 के समान है, को आंध्र प्रदेश सरकार बनाम जे. बी. एजुकेशनल सोसाइटी, (2005) 3 एस. सी. सी. 212 में बरकरार रखा गया है। उक्त अधिनियम तेलंगाना राज्य में अपनाया गया है।

7. तेलंगाना सरकार ने भी एक जवाबी-हलफनामा दायर किया जिसमें इंगित किया गया कि सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है और ए.आई.सी.टी.ई. से शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के लिए नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना पर अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। यह नीतिगत निर्णय राज्य और विशेष रूप से हैदराबाद में चल रहे बड़ी संख्या में तकनीकी संस्थानों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित था, जहां उपलब्ध सीटें भी खाली थीं, और अधिक सीटों और अधिक कॉलेजों के जुड़ने से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय था और यह उन्हें आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना देगा। अंततः शिक्षा के मानकों में गिरावट के परिणामस्वरूप छात्रों की रोजगार क्षमता कम हो सकती है। सरकार ने राज्य में

तकनीकी शिक्षा के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी और इसे ए.आई.सी.टी.ई. को सूचित किया था। परिप्रेक्ष्य योजना अधिनियम 1982 की धारा 20 में निहित प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई थी।

8. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले और आदेश द्वारा रिट आवेदन को स्वीकार किया था। इसने माना की एन.ओ.सी. के जारी होने से कोई संस्थान पाठ्यक्रम शुरू करने में सक्षम नहीं होगा। डी. फार्मा शुरू करने के लिए उन्हें कई अन्य बाधाओं को दूर करना है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 2017 के विनियमों के विनियम 5.2, 5.3 और 6 वैध हैं। विनियमों के अधिकारों को बरकरार रखा गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकार द्वारा नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं देने का नीतिगत निर्णय 1982 के अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में नहीं है क्योंकि प्रावधान सरकार को इस आधार पर अवकाश घोषित करने की शक्ति नहीं देता है कि बहुत सारी सीटें खाली हो रही हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि सीटें खाली हो रही हैं तो शैक्षणिक संस्थान स्वचालित रूप से उन पाठ्यक्रमों को बंद कर देंगे जिनकी कोई मांग नहीं है। जब तक कोई पाठ्यक्रम शुरू करना या मौजूदा पाठ्यक्रम को चलाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, तब तक कोई भी शैक्षणिक एजेंसी इस उद्यम को शुरू नहीं करेगी। यह शेक्षणिक एजेंसी की चिंता है न कि सरकार या विश्वविद्यालय की। उच्च न्यायालय ने आगे माना कि अशिक्षित बेरोजगारों को एक ऐसा मार्ग मिल सकता है जहाँ उनकी ऊर्जा को व्यवस्थित किया जा सके और अशिक्षित बेरोजगारों की नस्ल होने के बजाय शिक्षित बेरोजगार होना बेहतर है। सरकार द्वारा तैयार की गई परिप्रेक्ष्य योजना पर भी विचार किया गया है। यह देखा गया है कि रिक्त रहने वाली सीटें एन.ओ.सी. से इनकार करने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में फार्मा-डी में छात्रों के नामांकन में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय को एन.ओ.सी. जरी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद,

ए.आई.सी.टी.ई. और पी.सी.आई. के लिए यह खुला रहेगा कि वे डी. फार्मा पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन की जांच करें और उसके बाद विश्वविद्यालय के लिए अपने स्वयं के कानूनों के संदर्भ में जांच करने के लिए खुला रहेगा कि क्या याचिकाकर्ता को संबद्धता दी जा सकती है या नहीं। उसी से आहत होकर, अपील को प्राथमिकता दी गई है।

9. अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि तीस संस्थान हैं जो हैदराबाद शहर में फार्मेसी पाठ्यक्रम चला रहे हैं। संस्थानों की संख्या अधिक है और सभी कॉलेजों की जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है क्योंकि छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है। सीटों की संख्या में कमी के बावजूद सीटें खाली हैं। शिक्षकों की भी कमी है। तेलंगाना सरकार ने एक विस्तृत अध्ययन के बाद एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है और इसे एआईसीटीई को भेजकर नए तकनीकी पाठ्यक्रम नहीं खोलने का अनुरोध किया है क्योंकि हैदराबाद शहर में संस्थानों का एक मशरूम विकास हो रहा है। परिप्रेक्ष्य योजना को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा 1982 के अधिनियम की धारा 20 और विश्वविद्यालय के विनियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में एन.ओ.सी. जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय ने कानूनी रूप से अस्वीकार्य आधारों पर राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करके कानूनी रूप से गलती की है।

10. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि छुट्टी घोषित करने की ऐसी नीति तैयार करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। यह ए.आई.सी.टी.ई. या पी.सी.आई. को क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है कि क्या संस्थानों को एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुख्य रूप से इस तथ्य से कि फार्मेसी के दौरान कुछ सीटें खाली रही हैं, एनओसी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। चूँकि एन.ओ.सी. जारी होने के बाद विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना पी.सी.आई. के साथ-साथ ए.आई.सी.टी.ई. का

काम था। इस प्रकार, विश्वविद्यालय के साथ-साथ राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों को पार कर लिया है। प्रस्तुत किए गए आंकड़े डी. फार्मा पाठ्यक्रम के नहीं हैं, बल्कि फार्मेसी के अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित हैं। शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के लिए अधिस्थगन लागू करना कानूनी रूप से गलत है क्योंकि यह विश्वविद्यालय के लिए खुला होगा, ए.आई.सी.टी.ई. और पी.सी.आई. द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद, यह जांचने के लिए कि क्या संस्थान संबद्धता प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। परिप्रेक्ष्य योजना में, यह बताया गया है कि फार्मेसी पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि इंजीनियरिंग आदि जैसे अन्य तकनीकी संस्थानों की स्थापना से असंतुलन पैदा हुआ है जो देश के विकास के लिए अच्छा नहीं हो सकता है।

11. विचार के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के पास एक नीति बनाने और हैदराबाद शहर में फार्मेसी में एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एन.ओ.सी. जारी करने इनकार करने की शक्ति है और राज्य सरकार का वर्ष 2018-19 के लिए स्थगन लागू करने का निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना, तर्कहीन या मनमाना है।

12. 1982 के अधिनियम की धारा 20 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की अनुमति से संबंधित है। धारा 20(1) में प्रावधान है कि एक सक्षम प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करेगा। धारा 20(3) में प्रावधान है कि धारा 20(2) के तहत अनुमति के लिए आवेदन करने वाली कोई भी शैक्षणिक एजेंसी अनुमति दिए जाने से पहले संबंधित प्राधिकारी को संतुष्ट करेगी कि क्षेत्र के लोगों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। धारा 20 यहाँ नीचे निष्कर्षित की गई हैः

"[20] शेक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति:-

(1) सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करेगा और स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से निर्धारित तरीके से अधिसूचित करेगा, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के इच्छुक शैक्षिक एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

(2) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के अनुसरण में, स्थानीय प्राधिकरण या पंजीकृत निकाय सहित कोई भी शैक्षिक एजेंसी -

(ए) शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान की स्थापना करे;

(बी) प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान में उच्च कक्षाएं खोलें;

(सी) ऐसे किसी भी संस्थान को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करें; या

(डी) नए पाठ्यक्रम (प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम आदि) खोलें।

ऐसी अवधि के भीतर ऐसे तरीके से और ऐसे प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है जिसे इसके लिए अनुमति देने के लिए अधिसूचित किया जाए।

(3) उप-धारा (2) के तहत अनुमति के लिए आवेदन करने वाली कोई भी शैक्षणिक एजेंसी -

(क) अनुमति दिए जाने से पहले, संबंधित प्राधिकारी को संतुष्ट करें, -

(i) कि क्षेत्र के लोगों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है;

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संस्था के निरंतर और कुशल रखरखाव के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान है;

(iii) कि संस्थान को स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश में स्थित करने का प्रस्ताव है;

(ख) आवेदन के साथ संलग्न करें -

(i) प्रस्तावित भवन, खेल का मैदान और उद्यान के लिए स्थल से संबंधित स्वामित्व विलेख;

(ii) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजनाएं जो इसके लिए निर्धारित नियमों के अनुरूप होंगी; और

(iii) प्रस्तावित भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक वित्त की उपलब्धता का प्रमाण देने वाले दस्तावेज; और

(ग) अनुमति देने वाले आदेश में संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर -

(i) इस संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार योग्य शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति;

(ii) इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसमें विफल रहने पर उक्त प्राधिकरण अनुमति को रद्द करने के लिए सक्षम होगा।

(4) आंध्र प्रदेश शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रारंभ में और उसके बाद से, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार के अलावा कोई भी शैक्षणिक संस्थान स्थापित नहीं किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति

जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या जो इस धारा के तहत उसे दी गई अनुमति के बाद भी ऐसी संस्था चलाये रहता है, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जो छह महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो तीन साल तक हो सकता है और जुर्माने से जो तीन हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पचास हजार रुपये तक हो सकता हैः

बशर्ते कि इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने वाला न्यायालय उस संस्था को बंद करने का भी आदेश देगा जिसके संबंध में अपराध किया गया है।"

(जोर दिया गया)

धारा 20 (1) के उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण इस तरह से किया जाता है ताकि क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान की जा सके कि उस क्षेत्र में कितने संस्थान काम कर रहे हैं और क्या मौजूदा कॉलेजों में शैक्षणिक संस्थान/नए पाठ्यक्रम खोलने की कोई और आवश्यकता है, और यह धारा 20 (3) (ए) (आई) के तहत भी अनिवार्य है कि शैक्षणिक एजेंसी को प्राधिकरण को संतुष्ट करना होगा कि क्षेत्र के लोगों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। ।यदि क्षेत्र में पहले से ही बड़ी संख्या में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान हैं तो सक्षम प्राधिकारी को क्षेत्र में किसी संस्थान को स्थापित करने की अनुमति देने के लिए एन.ओ.सी. जरी नहीं करना उचित हो सकता है।

13. धारा 20 में निहित प्रावधान पूर्ण हैं और इनका उद्देश्य न केवल क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, बल्कि संस्थानों/पाठ्यक्रमों के मशरूम विकास को भी रोकना है। यदि संस्थानों को प्रत्येक पाठ्यक्रम को चलाने की अनुमति दी जाती है जो शिक्षा के स्तर को प्रभावित कर सकता है और अंततः निम्न-मानक

शिक्षा का कारण बन सकता है। पहले से ही बड़े पैमाने पर संस्थानों में योग्य शिक्षकों की कमी है और हैदराबाद शहर में फार्मेसी पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटें कई सीटों में कमी के बावजूद हर वर्ष खाली रहती हैं। छात्रों की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध रिक्तियों को भरना संभव नहीं था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब हैदराबाद शहर में 30 संस्थान पहले से ही फार्मेसी पाठ्यक्रम चला रहे हैं, तो विश्वविद्यालय द्वारा एनओसी जारी करने से इनकार करना पूरी तरह से उचित था।

14. धारा 20 में निहित प्रावधानों के अलावा, जब हम विनियम 5 और 5 पर विचार करते हैं, जो स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि विश्वविद्यालय संबद्धता के साथ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का प्रस्तावरखनेवालाएकनयाकॉलेजपहलेए.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई./किसी अन्य वैधानिक निकाय में आवेदन करने से पहले विश्वविद्यालय से एन.ओ.सी. लेगा। विनियम 5.3 में प्रावधान है कि मौजूदा कॉलेजों में नए कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की प्राथमिकता/नीति, यदि कोई हो, के अनुसार विचार किया जाएगा। विनियम 5.2 और 5.3 इसके नीचे निष्कर्षित किये गए हैंः

> “5.2 - विश्वविद्यालय संबद्धता के साथ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखने वाले एक नए कॉलेज को एआईसीटीई/पीसीआई/अन्य सांविधिक निकाय में आवेदन करने से पहले विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा।
>
> 5.3 - महाविद्यालयों की स्थापना और मौजूदा महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की प्राथमिकता/नीति, यदि कोई हो, के अनुसार विचार किया जाएगा।"

15. ए. पी. सरकार और एक अन्य बनाम जे. बी. शेक्षणिक सोसाइटी और एक अन्य (उपरोक्त) में न्यायालय ने 1982 के अधिनियम की धारा 20 और 1987 के ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 10 की वैधता पर विचार किया और कहा कि दोनों प्रावधान एक-दूसरे के प्रतिकूल नहीं हैं और वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। दो अधिनियमों का उद्देश्य और प्रयोजन पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया और कहा कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में अधिक कॉलेज हैं, तो राज्य उस क्षेत्र में एक और कॉलेज को अनुमति नहीं देना उचित होगा। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 राज्य विधानमंडल को तकनीकी शिक्षा सहित शिक्षा के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देती है। ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए संस्थानों में समन्वय, मानकों के निर्धारण के लिए संसद की सामान्य शक्ति से संबंधित है और सूची I की प्रविष्टि 65 संघ एजेंसियों और संस्थानों से संबंधित है। राज्य के पास इस तरह के कानून को पारित करने की क्षमता है और 1982 के अधिनियम की धारा 20 राज्य के कल्याण के लिए है। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

> "13. इसी पृष्ठभूमि में दोनों विधायी अधिनियमों में निहित प्रावधानों की जांच की जानी चाहिए। ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में सुधार करना है और अधिनियम के तहत विभिन्न प्राधिकरणों को उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। यह राष्ट्रीय महत्व की किसी भी परियोजना के लिए उचित संबंध का मूल्यांकन करने, सामंजस्य स्थापित करने और सुरक्षित करने के लिए दी गई एक सामान्य शक्ति है। उचित मानक के साथ उच्च शिक्षा में इस तरह की समन्वित कार्रवाई राष्ट्रीय प्रगति के लिए सर्वोपरि है। आंध्र प्रदेश अधिनियम की धारा 20 किसी भी तरह से केंद्रीय अधिनियम के तहत अधिकारियों की शक्तियों

का अतिक्रमण नहीं करती है। धारा 20 में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर, स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करेगा, जिसमें शैक्षणिक एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। धारा 20 (3) (ए) (आई) में कहा गया है कि अनुमति देने से पहले संबंधित प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि इलाके के लोगों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। केवल राज्य के अधिकारी ही इलाके की शैक्षिक सुविधाओं और जरूरतों के बारे में निर्णय ले सकते हैं। यदि किसी विशेष क्षेत्र में अधिक कॉलेज हैं, तो उस क्षेत्र में एक और कॉलेज को अनुमति देना राज्य के लिए उचित नहीं होगा। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 राज्य विधानमंडल को तकनीकी शिक्षा सहित शिक्षा के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देती है। हालाँकि, यह सूची I की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के प्रावधानों के अधीन है। सूची I की प्रविष्टि 66 जिसमें एआईसीटीई अधिनियम के लिए विधायी स्रोत का पता लगाया गया है, समन्वय, उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में मानकों के निर्धारण के लिए संसद की सामान्य शक्ति से संबंधित है और प्रविष्टि 65 पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण आदि सहित पेशेवर, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए संघ एजेंसियों और संस्थानों से संबंधित हैं। राज्य के पास निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा सहित शिक्षा के संबंध में कानून पारित करने की विधायी क्षमता है और अधिनियम की धारा 20 का उद्देश्य राज्य के नागरिकों के सामान्य कल्याण और संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत उल्लिखित संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करना है।

14. ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 10 (1) (ए) के तहत तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य सर्वेक्षण किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। यह ए.आई.सी.टी.ई. परिषद द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक सामान्य पर्यवेक्षी सर्वेक्षण है, उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष क्षेत्र में कोई आई.आई.टी. स्थापित किया जाना है, तो एक सामान्य सर्वेक्षण किया जा सकता है और परिषद उस संस्थान के स्थान के बारे में एक सर्वेक्षण कर सकती है और सभी संबंधित मामलों का डेटा एकत्र कर सकती है। लेकिन इस संबंध में कि क्या किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की जानी है, केवल राज्य ही यह कहने में सक्षम होगा कि उस संस्थान की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश अधिनियम की धारा 20 और केंद्रीय अधिनियम की धारा 10 अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं और हम दोनों प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास नहीं देखते हैं।

21. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना और निर्धारण राज्य द्वारा किया जाना है। ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए, राज्य के प्रतिनिधियों को अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए और अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाकर्ता किसी भी तरह से ए.पी. अधिनियम के ऐसे प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा, धारा 20 (3) (ए) (आई) के तहत राज्य अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय, यदि कोई हो, न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा और हमें नहीं लगता कि राज्य अनुमति देने के बारे में कोई तर्कहीन निर्णय ले सकता है। इसलिए, हम मानते हैं कि धारा 20 (3) (ए) (आई) किसी भी तरह

से ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 10 के प्रतिकूल नहीं है और यह संवैधानिक रूप से मान्य है।"

16. उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने कानून में यह ठहराते हुए गलती की है कि राज्य सरकार को ऐसी नीति बनाने की अनुमति नहीं है और विश्वविद्यालय एन.ओ.सी. जारी करने के लिए बाध्य है। उच्च न्यायालय का निर्णय इसके विपरीत है, उक्त निर्णय में निर्धारित कानून की अवहेलना और अनदेखी करता है।

17. तेलंगाना सरकार ने ए.आई.सी.टी.ई. को दिनांक 29.11.2016 की संसूचना के माध्यम से सत्र 2017-18 के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए ए.आई.सी.टी.ई. की मंजूरी के संबंध में राज्य सरकार के विचारों को सूचित किया था। तकनीकी शिक्षा निदेशक, विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा इस मामले पर चर्चा करने के बाद राज्य सरकार ने तकनीकी संस्थानों के प्रसार और स्थापना और एआईसीटीई के दायरे में आने वाले सभी तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अभूतपूर्व विस्तार पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। फार्मेसी सहित सारणीबद्ध रूप में डेटा दिया गया था। यह बताया गया कि वर्ष 2015-16 में फार्मेसी में स्वीकृत प्रवेश संख्या 11490 थी, खाली रहीं सीटें 4035 थीं, शैक्षणिक सत्र 2016-17 में स्वीकृत प्रवेश संख्या 9226 थी, सीटें 1892 खाली थीं।

18. ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम, 1987 धारा 2 (जी) में तकनीकी शिक्षा को परिभाषित करता है जिसका अर्थ फार्मेसी में भी शिक्षा के कार्यक्रम हैं। उक्त अधिनियम में राज्य के साथ-साथ विश्वविद्यालय की शक्तियों में कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं है। ए.आई.सी.टी.ई. ने 1987 के अधिनियम की धारा 10 और 11 के साथ पठित धारा 23 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1987 के

अधिनियम के तहत विनियम बनाए हैं, जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थानों के लिए अनुमोदन का अनुदान) विनियम, 2016 कहा जाता है। तकनीकी संस्थान को विनियमन 4.2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार परिषद से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। विनियम 4,18 में प्रावधान है कि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड, जैसा भी मामला हो, राज्य की परिप्रेक्ष्य योजना के साथ अपने विचार आगे बढ़ाएंगे और फिर अनुमोदन के लिए आवेदन को संसाधित किया जाएगा। विनियम 4.18 यहाँ नीचे निष्कर्षित किया गया हैः

> “4.18 राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड खंड 4 के तहत प्राप्त आवेदनों पर अपने विचार, राज्य की परिप्रेक्ष्य योजना के साथ वैध कारणों के साथ, आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से 21 दिनों की अवधि के भीतर भेजेंगे, जिन्हें क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए ध्यान में रखा जाएगा। यदि आवेदन को आगे संसाधित नहीं किया जाता है, तो 50000/- (केवल पचास हजार रुपये) की कटौती के बाद प्रसंस्करण शुल्क आवेदक को वापस कर दिया जाएगा।
>
> यदि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड के विचार अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में उल्लिखित निर्धारित समय अनुसूची के भीतर प्राप्त नहीं होते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और परिषद आवेदनों को संसाधित करने के लिए आगे बढ़ेगी। हालांकि, परिषद किसी भी संस्थान के खिलाफ राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड से प्राप्त पिछले संचार, यदि कोई हो, पर विचार करेगी।"

(जोर दिया गया)

19. विनियम 4.18 को विश्वविद्यालय के विनियम 5.2 और 5.3 के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है और ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम और 1982 के अधिनियम की धारा 20 में कोई प्रतिकूलता नहीं है जैसा कि इस न्यायालय ने ए.पी.सरकार और एक अन्य बनाम जे.बी.शेक्षणिक सोसाइटी और एक अन्य (उपरोक्त) में कहा है। तेलंगाना राज्य द्वारा 2018-19 के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई थी। परिप्रेक्ष्य योजना में राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष के लिए मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेजों में अकादमिक वर्ष 2017-18 के लिए पाठ्यक्रमों और सीटों के सार की ओर इशारा किया है और यह उल्लेख किया गया है कि सीटों का असंतुलन था। प्रतिवादियो द्वारा जिस उद्धरण पर भरोसा किया गया है वह निम्नलिखित हैः

> "उपरोक्त तालिका के अवलोकन से इस तथ्य का पता चलता है कि चार कार्यक्रम अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कुल मिलाकर कुल 1,26,855 सीटों में से 83,290 सीटों के लिए योगदान है। यह लगभग 66 प्रतिशत सीटों के लिए जिम्मेदार है और लगभग 43,565 सीटों के लिए जिम्मेदार है, जो कुल प्रवेश का 34 प्रतिशत है। यह एकतरफा प्राथमिकता, लंबे समय में, देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और इसके परिचर परिणाम भी होंगे।
>
> इस असंतुलन को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने की आवश्यकता है ताकि विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों को नुकसान न हो। खनन, कपड़ा, फार्मेसी, ऑटोमोबाइल, विमानन सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण प्रौद्योगिकी जैसी नवीनतम तकनीकों और उद्योग की जरूरतों से

संबंधित मांग पर पाठ्यक्रम और इसलिए इस योजना के पैरा 5, पृष्ठ 14 में उल्लिखित 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए राज्य में उनके सेवन में वृद्धि पर विचार किया जा सकता है। यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि तेलंगाना राज्य में फार्मा सिटी, टेक्सटाइल हब, फैबसिटी, आईटीआईआर, आईटी हब आदि उभर रहे हैं।"

साथ ही सरकार द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना में किए गए निष्कर्षों और सिफारिशों में यह बताया गया है कि ए.आई.सी.टी.ई. शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना पर अवकाश घोषित कर सकता है। यह अवकाश न केवल नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना पर लागू होता है, बल्कि अन्य बातों के साथ-साथ बी-फार्मेसी संस्थानों पर भी लागू किया जा सकता है। यह भी बताया गया कि यदि भारतीय फार्मेसी परिषद ने मंजूरी नहीं दी है, तो ए.आई.सी.टी.ई. को फार्मेसी कॉलेजों को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। सिफारिशों में यह उल्लेख किया गया था कि "नई प्रौद्योगिकियों" के आधार पर खनन, ग्रेनाइट, कपड़ा, फार्मेसी, ऑटोमोबाइल आदि में नए कार्यक्रमों को मंजूरी दी जा सकती है। हालाँकि, ऐसा नहीं था, वह पाठ्यक्रम नई तकनीक पर आधारित होगा। राज्य द्वारा किए गए निष्कर्षों और सिफारिशों का प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित हैः

"6. निष्कर्ष और सिफारिशें

इस प्रकार, उपरोक्त सभी आंकड़ों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न चिंताओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विचार के लिए नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हैः- ए.

मुद्दे	सिफारिश
एआईसीईटी वास्तव में राज्य की 'आवश्यकता' का आकलन किए बिना हर साल नियमित	ऐसे में एआईसीटीई शैक्षणिक वर्ष 2018-

रूप से कॉलेज को मंजूरी देता रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे कॉलेज स्थापित होने के कारण, योग्य शिक्षण संकाय की भारी कमी है, जो इनमें से कई संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि हर साल बड़ी संख्या में सीटें खाली हो रही हैं क्योंकि उपलब्ध सीटों की कुल संख्या लेने वालों की संख्या से कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2016-17 के दौरान, लगभग 32784 सीटें थीं और 2017-18 के दौरान, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (संबद्धता के आधार पर) में 29367 सीटें खाली रह गईं। खराब प्रवेश के साथ, कई कॉलेजों को चलाने में 'वित्तीय व्यवहार्यता' एक समस्या बनती जा रही है और इस प्रकार कॉलेजों को खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करनी पड़ रही है, जो पूरी तरह से अवांछनीय है। दरअसल, कई कॉलेजों में इंजीनियरिंग और एमसीए प्रोग्राम में पिछले साल और इस साल दाखिले सिर्फ एक अंक में हुए हैं। इस स्थिति ने छात्रों को हर तरह के झूठे वादों से लुभाकर प्रवेश के लिए कॉलेजों के बीच एक अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है।	19 से नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना पर छुट्टी की घोषणा कर सकता है। यह छुट्टियाँ न केवल राज्य में नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना के संबंध में लागू होती हैं, बल्कि इसे बी.फार्मेसी, एमबीए/एमसीए संस्थानों तक भी बढ़ाया जा सकता है।

यह राज्य में व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के लिए अत्यधिक हानिकारक है।	

"अन्य सिफारिशें

उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए और तेलंगाना राज्य में निजी, गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, यह अनुशंसा की जाती है किः

- खनन, ग्रेनाइट, कपड़ा, फार्मेसी, ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग जैसे नए कार्यक्रमों को मंजूरी दी जा सकती है। इस योजना के पृष्ठ 14 के पैरा 5 में उल्लिखित 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नई प्रौद्योगिकियों और उद्योग की जरूरतों पर आधारित निर्माण प्रौद्योगिकी।"

20. निर्विवाद रूप से यह कॉलेज द्वारा डी-फार्मा के प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए अपनाई जाने वाली नई तकनीक का मामला नहीं है। इस प्रकार, राज्य ने फार्मेसी पाठ्यक्रमों के लिए भी रोक लगा दी थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निष्कर्षों और सिफारिशों में, यह देखा गया कि ए.आई.सी.टी.ई. ने इस क्षेत्र में संस्थानों के असंतुलित विकास की अनुमति दी थी जिससे बचा जा सकता था। वास्तव में, हम देखते हैं कि ऐसा विशेषज्ञ निकाय अक्सर ऐसे प्रासंगिक कारकों की अनदेखी करता है जो कार्रवाई को मनमाना बनाते हैं।

21. राज्य सरकार द्वारा स्थगन लागू करने का निर्णय, जैसा कि परिप्रेक्ष्य योजना में परिलक्षित तथ्यों से स्पष्ट है, एक सर्वेक्षण पर आधारित है और आंकड़ों द्वारा समर्थित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीटें कम हो रही हैं। 2017-18 में भी फार्मेसी पाठ्यक्रम में भी एसएलपी में आंकड़े दिए गए हैं कि

विश्वविद्यालय से संबद्ध 56 कॉलेजों में से 30 हैदराबाद शहर में थे और कुल 1630 सीटों में से 173 सीटें खाली थीं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में सीटें खाली रहीं। एक संस्थान को 30 से अधिक सीटें आवंटित नहीं की जा सकती हैं। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का यह मत कि संस्था को चिंता करनी चाहिए और व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए और इसे ध्यान में रखना विश्वविद्यालय या राज्य सरकार का काम नहीं है, पूरी तरह से एक तुच्छ और अस्वीकार्य कारण है। शैक्षणिक संस्थानों के मशरूम विकास की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा की गई यह टिप्पणी कि अयोग्य संस्थान स्वचालित रूप से पाठ्यक्रमों को बंद कर देंगे, ऐसे मामलों में उचित दृष्टिकोण नहीं है। यह न केवल यह है कि क्षेत्र की आवश्यकता मौजूद होनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल मानक शैक्षणिक संस्थान ही बनें और एक बार जब वे आ जाएं, तो वे जीवित रहने में सक्षम हों। सबसे योग्य व्यक्ति के जीवित रहने और शिक्षकों/छात्रों की अनुपलब्धता के सिद्धांत पर बड़ी संख्या में संस्थानों को अप्राकृतिक मृत्यु के लिए नहीं खोला जाना चाहिए। किसी विशेष स्थान पर संस्थानों को बिना किसी आवश्यकता के लापरवाह तरीके से स्थापित करने की अनुमति देकर शिक्षा के स्तर से समझौता और त्याग नहीं किया जा सकता है। शिक्षा की मौजूदा प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए पूरी तरह से अनुचित दृष्टिकोण से मुद्दों को और जटिल बनाकर इसे कमजोर न बनाया जा सके। यह संस्थान की पसंद पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि वह जब चाहे या जहां चाहे पाठ्यक्रम खोले। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में भी गलती की है कि खाली बची सीटें एन.ओ.सी. से इनकार करने के लिए प्रासंगिक मानदंड नहीं हो सकती हैं।

22. श्री वी. गिरि, प्रतिवादियो की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जैसा कि टी.एन. राज्य बनाम अधियामन शेक्षणिक और अनुसंधान

संस्थान, (1995) 4 एस.सी.सी. 104 में निर्णय का उल्लेख किया गया है, यह तर्क दिया है कि एक बार प्रविष्टि 66 सूची I के तहत अधिनियमित ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है, प्रविष्टि 25 सूची III के तहत आने वाला राज्य विधान इस हद तक अमान्य होगा कि यह केंद्रीय विधान के साथ संघर्ष में है। संसद द्वारा बनाए गए विधान और सूची III के अंतर्गत आने वाले विषय पर राज्य विधान द्वारा बनाए गए विधान के बीच प्रतिकूलता के मामले में, केंद्रीय विधान प्रबल होगा और उस हद तक, राज्य विधान अमान्य होगा जब तक कि इसे संविधान के अनुच्छेद 254 (2) द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है। प्रविष्टि 66 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति समन्वय को न्यायालय द्वारा एक निश्चित डिजाइन, योजना या विकास की योजना के अनुसार एक ठोस कार्रवाई के लिए एक समान पैटर्न बनाने की दृष्टि से सामंजस्य के रूप में माना गया है। यह भी देखा गया है कि क्या राज्य का कानून प्रविष्टि 25 के तहत केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम के तहत, परिषद की स्थापना पूरे देश में सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए की गई है। तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना आवश्यक है। तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित किए जाने वाले मानदंडों और मानकों का उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में तकनीकी शिक्षा का विकास सुनिश्चित करना है। मानदंडों और मानकों को पूरे देश में संस्थानों द्वारा उचित, अनुकूलनीय, प्राप्य और बनाए रखने योग्य होना चाहिए। जब इस तरह के मामले की बात आती है, तो राज्य अधिनियम के प्रावधान जो केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करते हैं, वे अमान्य हैं और इसलिए अप्रवर्तनीय हैं। जहाँ तक ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 10 के तहत आने वाले मामलों का संबंध है, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान के मामले में केंद्रीय अधिनियम को प्रबल होना चाहिए। साथ ही, इस न्यायालय ने उपरोक्त

निर्णय में कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे तकनीकी कॉलेजों की संबद्धता के संबंध में विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी संबद्धता के अनुदान और निरंतरता के लिए शर्तें, हालांकि, लागू रहेंगी लेकिन संबद्धता की शर्तें ए.आई.सी.टी.ई./केंद्रीय अधिनियम की धारा 10 के तहत उसे सौंपे गए मामले के संबंध में परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि जहां तक तकनीकी संस्थानों का संबंध है, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा उनकी मान्यता और संबद्धता के लिए निर्धारित मानदंड और मानक और आवश्यकताएं केंद्रीय अधिनियम के तहत परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के विपरीत और असंगत नहीं होनी चाहिए।

23. अधियामन शेक्षणिक एवं अनुसन्धान संसथान (उपरोक्त) मामले में, तमिलनाडु राज्य में एक तकनीकी संस्थान जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, शुरू करने की अनुमति देने की राज्य सरकार की शक्ति पर विचार किया गया। कॉलेज काम कर रहा था और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बारे में निरीक्षण के बाद तकनीकी शिक्षा निदेशक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उच्च शक्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा नहीं किया गया। निदेशक, तकनीकी शिक्षा ने एक कारण बताओ नोटिस जारी कर कॉलेज से पूछा कि कॉलेज शुरू करने के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुमति को वापस क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। उच्च शक्ति समिति ने 1989-90 के लिए अस्थायी संबद्धता के संबंध में न्यास के अनुरोध को अस्वीकार करने का भी संकल्प लिया। उसी पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार के पास कॉलेज शुरू करने के लिए न्यास को दी गई अनुमति को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम के तहत रद्द करने की आवश्यकता थी। यह देखा गया कि देश में किसी भी तकनीकी संस्थान को मान्यता देने या उसकी मान्यता रद्द करने के लिए परिषद पर शुल्क लगाया गया था।

24. अधियामन शेक्षणिक एवं अनुसन्धान संसथान (उपरोक्त) मामले में, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की क्रमशः किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता रद्द करने और उसे असंबद्ध करने की शक्ति पर सवाल उठा। सूची I की प्रविष्टि 66 और सूची III की प्रविष्टि 25 पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण हमेशा संसद का विशेष संरक्षण रहा है। ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम के तहत परिषद के गठन को ध्यान में रखते हुए, यह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक प्रतिनिधि निकाय था और परिषद के कार्यों को ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 10 के तहत आदेश दिया गया है। इस न्यायालय ने राय दी कि परिषद की स्थापना नियोजित मात्रात्मक विकास के संबंध में शिक्षा के गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देने के लिए की गई है। परिषद् द्वारा मानदंड और मानक निर्धारित किया जाते हैं ताकि देश की तकनीकी शिक्षा के असंतुलित या प्रथक विकास को रोका जा सके। तकनीकी संस्थान में प्रवेश या परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अनावश्यक रूप से उच्च मानदंड या मानक न केवल अधिकांश लोगों को शिक्षा और योग्यता के लाभ से वंचित कर सकते हैं, बल्कि इसके परिणामस्वरूप समृद्ध और अभिजात वर्ग के हाथों में तकनीकी शिक्षा केंद्रित हो जाएगी और अंततः देश बड़ी संख्या में अन्यथा योग्य तकनीकी कर्मियों से वंचित हो जाएगा। इस न्यायालय ने राज्य अधिनियम के प्रावधानों और विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों और विशेष रूप से अनुदान के आवंटन और वितरण पर विचार किया है। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

> "27. ऊपर दर्शाए गए राज्य अधिनियम के प्रावधानों से पता चलता है कि यदि इसे तकनीकी संस्थानों पर लागू किया जाता है, तो यह विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होगा और विशेष रूप से अनुदान के आवंटन और वितरण, शिक्षकों के प्रारंभिक और

सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए योजनाओं का निर्माण और शिक्षकों की निरंतर शिक्षा, पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने, शारीरिक और संस्थागत सुविधाओं, कर्मचारी पैटर्न, कर्मचारी योग्यता, गुणवत्ता निर्देश मूल्यांकन और परीक्षाओं, ट्यूशन और अन्य शुल्क लेने के लिए मानदंड और दिशानिर्देश निर्धारित करने, नए तकनीकी संस्थान शुरू करने और नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी देने, तकनीकी शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए कदम उठाने, तकनीकी संस्थानों का निरीक्षण करने, पाठ्यक्रमों के संबंध में अनुदान को रोकने या बंद करने और इस तरह के अन्य मामलों में विपरीत होगा। इसके अलावा, केंद्रीय अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, एक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान करना है, ताकि अन्य बातों के अलावा, पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के विकास की योजना और समन्वय किया जा सके और ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार को बढ़ावा दिया जा सके और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों को विनियमित और उचित रूप से बनाए रखा जा सके, जो केंद्र सरकार के विशेष विधायी क्षेत्र के भीतर एक विषय है जैसा कि यह सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 66 से स्पष्ट है। उक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान किए गए हैं। इन्हें सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत अधिनियमित भी माना जा सकता है। यह इसलिए है क्योंकि राज्य अधिनियम के प्रावधान जो केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करते हैं, शून्य हैं और इसलिए, अप्रवर्तनीय हैं। इन कारणों से राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्थी-न्यास का निरीक्षण करने के लिए

उच्च शक्ति समिति की नियुक्ति अमान्य थी जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है।"

न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने वाले राज्य अधिनियम को अमान्य माना जाना चाहिए। मामले में, मुद्दा मान्यता रद्द करने का था। संस्थान की मान्यता की शक्ति केंद्रीय अधिनियम यानी ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम के तहत पूरी तरह से आरक्षित है। इस प्रकार, इसकी मान्यता रद्द करने की भी शक्ति होगी और इस उद्देश्य के लिए, प्रक्रिया एआईसीटीई अधिनियम में दी गई है। इस प्रकार, अधियामन शेक्षणिक एवं अनुसन्धान संसथान में, तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से अलग थी। उस संदर्भ में, धारा 10 के प्रावधानों और तमिलनाडु राज्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है।1982 के राज्य अधिनियम के प्रावधान ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम के प्रतिकूल नहीं हैं। 1982 के अधिनियम के प्रावधानों और वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया है और अन्यथा, इस दलील को स्वीकार करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि अधिनियम, 1982 की धारा 20 के प्रावधान निष्क्रिय हैं।

25. जया गोकुल शिक्षा न्यास बनाम उच्च शिक्षा विभाग सरकार के आयुक्त और सचिव तिरुवनंतपुरम, केरल, (2000) 5 एस. सी. सी. 331, के मामले में, प्रतिवादियो द्वारा भरोसा किए जाने पर, विचार के लिए सवाल उठाया गया कि क्या केरल विश्वविद्यालय प्रथम संविधि के खंड 9 (7) के तहत, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सिंडिकेट को सरकार के विचारों पर विचार करने के बाद संबद्धता देने या नहीं देने का निर्णय लेने का अधिकार है । प्रावधान, जिन पर विचार किया जाना था, उनका उल्लेख किया गया हैः

"20. राज्य सरकार द्वारा हमारे समक्ष जिस एकमात्र प्रावधान पर भरोसा किया गया था, जो उसके विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, राज्य

सरकार के 'अनुमोदन' की एक हितकारी आवश्यकता थी, वह केरल विश्वविद्यालय प्रथम संविधि के खंड 9 (7) में निहित था। वह इस प्रकार हैः

(9) संबद्धता जरी करना :- (1)-(6)।

(7) आयोग की रिपोर्ट और स्थानीय जांच की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद और ऐसी आगे की जांच करने के बाद जो वह आवश्यक समझे, सिंडिकेट सरकार के विचार का भी पता लगाने के बाद निर्णय लेगा कि संबद्धता पूर्ण या आंशिक रूप से दी जाए या अस्वीकार की जाए। यदि संबद्धता दी जाती है, तो सीनेट को उसकी अगली बैठक में इस तथ्य की सूचना दी जाएगीः

यह ध्यान दिया जाएगा कि क़ानून के खंड 9 (7) में आवश्यक था कि विश्वविद्यालय द्वारा "संबद्धता" पर निर्णय लेने से पहले, उसे राज्य सरकार के "विचारों" का पता लगाना था।"

(जोर दिया गया)

क्योंकि क़ानून के खंड 9 (7) के प्रावधानों में विश्वविद्यालय को केवल राज्य सरकार के विचार प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। इस न्यायालय ने यह भी राय दी कि संबद्धता का प्रश्न एक अलग मामला था और केंद्रीय अधिनियम के दायरे में नहीं आता था। केरल विश्वविद्यालय प्रथम संविधि के खंड 9 (7) के तहत प्रावधानों पर विचार करने पर, इस न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है, भले ही एक हो, यह

ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम के प्रतिकूल होगा। यह निर्णय खंड 9 (7) के प्रावधानों पर आधारित है।

26. तत्काल मामले में शामिल 1982 के अधिनियम की धारा 20 में निहित प्रावधान अलग हैं और ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम की वैधता को इस न्यायालय द्वारा पहले ही बरकरार रखा जा चुका है। इसके अलावा, यह नहीं बताया गया है कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 10 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एआईसीटीई द्वारा मानदंड तय किए गए हैं कि किसी विशेष शहर/स्थान पर कितने कॉलेज काम करने चाहिए। निश्चित रूप से राज्य सरकार और विश्वविद्यालय, एआईसीटीई द्वारा बनाए गए ऐसे किसी भी मानदंड/नियमों के अभाव में, लागू वैधानिक प्रावधानों या नीति के अनुसार हमेशा अपनी बात रख सकते हैं। तत्काल मामले में, 1982 के अधिनियम की धारा 20, विश्वविद्यालयों को स्थानीय आवश्यकता पर विचार करने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में सक्षम बनाती है और चूंकि इस संबंध में एआईसीटीई द्वारा कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं, इसलिए इसे एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। नतीजतन, कोई अस्वीकृति पैदा नहीं होती है। संस्थानों के मशरूम विकास की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे परिप्रेक्ष्य योजना में सही बताया गया था। केंद्रीय निकायों द्वारा राज्य में बड़ी संख्या में संस्थानों को पहले ही काम करने की अनुमति दी जा चुकी है। यह दुखद है कि कई स्थानों पर ऐसे निकायों द्वारा अवैध तरीके से संस्थानों के मशरूम विकास की अनुमति दी गई थी। यदि कोई नियंत्रण या संतुलन नहीं है और शक्ति का उपयोग बेलगाम लापरवाही से किया जाता है, तो पीड़ित शिक्षा का मानक बनने जा रहा है। साथ ही, नई तकनीक वाले अच्छे संस्थानों की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही घटिया संस्थानों के मशरूम विकास की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकता होनी चाहिए और यह मुख्य विचारों में से एक है।

27. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता क्षेत्र की आवश्यकता के निर्णय के लिए परिषद् द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम और नियम के किसी भी प्रावधान को इंगित करने में सक्षम नहीं थे। संस्थानों के मशरूम विकास की जांच के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों या मानदंडों के अभाव में, विश्वविद्यालय को उक्त पहलू पर विचार करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने क्षेत्र में तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में खतरनाक वृद्धि और असंतुलित विकास के बारे में ए.आई.सी.टी.ई. को एक संदेश भी भेजा था। राज्य का निर्णय वस्तुनिष्ठ तरीके से लिया गया है और यह डेटा पर विचार करने पर आधारित है और इसे किसी भी तरह से तर्कहीन या मनमाना नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय को अवैध नहीं कहा जा सकता है और उस आधार पर विश्वविद्यालय ने 1982 के अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में निर्णय लिया है।

28. महाराष्ट्र राज्य बनाम संत ज्ञानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय, (2006) 9 एस. सी. सी. 1 में, महाराष्ट्र सरकार की शक्ति के बारे में विचार के लिए प्रश्न उठा क्योंकि उसने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम (एन.सी.टी.ई. अधिनियम) के प्रावधानों को देखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2005-06 के लिए नया बी. एड. कॉलेज शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि परिषद द्वारा कॉलेज शुरू करने के लिए एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 14 के तहत अनुमति दी गई थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विश्वविद्यालय महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के तहत प्रतिबंध के बावजूद एन. सी. टी. ई. अधिनियम के निर्णय को लागू करने और उसके अनुसार संबद्धता प्रदान करने के लिए बाध्य था। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा

82 और 83 के तहत बातिल और शुन्य थे। वे मामले में नहीं बल्कि अन्य उपयुक्त पाठ्यक्रमों में लागू होंगे। इस न्यायालय ने कहा किः

"61. सांविधिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 10-ए को अधिनियमित करके, संसद ने " देश में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पूरे क्षेत्र को शामिल करने वाला एक पूर्ण और विस्तृत प्रावधान" बनाया। उक्त क्षेत्र में राज्य विधान के संचालन के लिए आगे कोई गुंजाइश नहीं बची है जो पूरी तरह से संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा कवर किया गया था। अतः न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) का परंतुक, जिसके लिए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, केंद्रीय अधिनियम की धारा 10ए के प्रतिकूल है और जहां तक प्रतिकूलता की बात है, राज्य अधिनियम लागू नहीं होगा। न्यायालय ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए विनियमों के तहत तैयार की गई योजना में, निर्धारित योग्यता मानदंडों के लिए शर्तों में से एक वांछनीयता और प्रस्तावित कॉलेज को प्रस्तावित स्थान पर रखने के संबंध में 'अनिवार्यता प्रमाण पत्र' था जिसे राज्य सरकार से प्राप्त किया जाना चाहिए। अतः अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) के परंतुक का अर्थ केवल "प्रस्तावित स्थान" के संबंध में ही लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' को राज्य सरकार द्वारा किसी भी 'नीतिगत विचार' पर नहीं रोका जा सका क्योंकि नीति और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मामला अकेले केंद्र सरकार के पास था।

62. उपरोक्त निष्कर्षों से, हमारे निर्णय में, कानून बहुत अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है। जहाँ तक उच्च शिक्षा या अनुसंधान, वैज्ञानिक

और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थानों में समन्वय और मानकों के निर्धारण का संबंध है, यह विषय विशेष रूप से संविधान की अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्टि 66 में शामिल है और राज्य को संसद की विधायी शक्ति का अतिक्रमण करने की कोई शक्ति नहीं है। यह तभी होता है जब यह विषय संविधान की अनुसूची VII की सूची III की प्रविष्टि 25 द्वारा कवर किया जाता है कि संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडलों की भी समवर्ती शक्ति होती है और संविधान के तहत सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन राज्य विधानमंडल द्वारा उपयुक्त अधिनियम बनाया जा सकता है।"

29. संत ज्ञानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय (उपरोक्त) में न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 5 की उप-धारा 5 के परंतुक का अर्थ "प्रस्तावित स्थान" के संबंध में लगाया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा किसी भी नीतिगत विचार पर अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि नीति और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मामला अकेले केंद्र सरकार के पास था। तत्काल मामले में, यह मुख्य रूप से स्थानीय क्षेत्र यानी हैदराबाद शहर के संबंध में है जिसकी शक्ति को इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त उक्ति में भी बचाया गया है।

30. थिरुमुरुगा किरुपानंद वरियार थावथिरु सुंदरा स्वामीगल मेडिकल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु राज्य, (1996) 3 एस. सी. सी. 15 में, तमिलनाडु चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के प्रावधानों पर विचार किया गया। अधिनियम के प्रावधान अलग-अलग हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राज्य अनिवार्यता प्रमाण पत्र और विश्वविद्यालय से संबद्धता की आवश्यकता होती है। तत्काल मामले में, मामला तेलंगाना राज्य के 36 फार्मेसी कॉलेजों में से प्रस्तावित स्थान और संबद्धता के बारे में है और 30 अकेले हैदराबाद शहर में स्थित हैं जो संख्या में पर्याप्त से अधिक हैं। इस प्रकार, हैदराबाद शहर में प्रस्तावित स्थान पर

एक और नया पाठ्यक्रम शुरू नहीं करने का सही निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, उक्त निर्णय प्रतिवादियो के हेतुक का समर्थन करने के लिए कोई लाभप्रद नहीं है।

31. प्रतिवादियो ने रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई बनाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, (2015) 11 एस. सी. सी. 291 के भी निष्कर्ष का उल्लेख किया है, जिसमें अस्थायी संबद्धता को वापस लेने या संबद्धता के अनुदान को अस्वीकार करने के लिए परीक्षा प्राधिकरण यानी विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में प्रश्न विचार के लिए आया था। कॉलेज को दी गई अस्थायी संबद्धता को अस्वीकार करने के लिए निर्णय लिया गया था। इस न्यायालय ने कहा कि जिन आपत्तियों के आधार पर कार्रवाई की गई थी, वे पूरी तरह से एक या दूसरे क्षेत्र के दायरे में आती हैं, जिनसे निपटने के लिए केवल ए.आई.सी.टी.ई. के पास विशेष अधिकार क्षेत्र है। कॉलेज के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए इन कमियों को ए.आई.सी.टी.ई. के संज्ञान में लाया जाना चाहिए था। तत्काल मामले के तथ्यों पर, निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कमियों का मामला नहीं है।

32. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार करने योग्य है, इसको स्वीकार किया जाता है। हम विवादित फैसले और आदेश को अपास्त करते हैं। कोई लागत नहीं।

दिव्या पांडे

अपील को स्वीकार किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।